2022/299

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय उप खण्ड अधिकारी तहसीलदार शाहपुरा बनाम रजनी पगेरा
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

केस संख्या 17/2022 धारा 131, 132 L.R.Act

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	31.10.22	तहसीलदार शाहपुरा के अपने पत्र क्रमांक राजस्व/224/1015 दिनांक 19/10/22 के द्वारा ग्राम पंचायत कालां तहसील शाहपुरा के ग.नं. 223, 220, 210, 217, 269, 268 में से मौके पर चालू आबादी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने हेतु सहायता अधीक्षक धारा 131, 132 L.R.Act के तहत पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। तहसीलदार शाहपुरा के अपनी रिपोर्ट के हवाले फर्द मौका रिपोर्ट में मौके पर प्रस्तावित आबादी में कुछ ग्रेवाड़ की भूमि होना बताया है जो बाद बाहर में काम आ रही है। ग्राम पं. कालां सुई ने भी नाता दर्ज करने हेतु सहमति दी है। प्रस्तावित आबादी में मौके पर चालू बाहर के रिकार्ड में दर्ज काश्तकार खातेदार उपस्थित होकर सहमति प्रदान की तथा नाता मौके पर चालू होना जाहिर किया। किये पत्रावली का अवलोकन किया मौके पर नाता चालू होना तहसीलदार शाहपुरा की रिपोर्ट में स्पष्ट जाहिर किया जाने से तथा कुछ खातेदारों के द्वारा सहमति प्रदान करने से जाहिर की जाना तथा मौके पर बाहर के उपयोग को ध्यान में रखते हुए सहायता स्वीकृत किया जाकर नामान्तरण करने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश अपडेट किया जाकर प्रस्तावित गया पत्रावली चिह्नल करके रोस्टर दाखिल दफ्तर हो।	

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

नि. रजनी

नि. कालू उ. मोहन

नि. लोग उ. मोहन

मुकेश गुर्जर

नि. [illegible] उ. [illegible]

बाबूलाल गुर्जर

नि. [illegible] उ. [illegible]

रामेश्वर गुर्जर

नि. [illegible]

विक्रम गुर्जर